बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक – वि० प्रा० (I) आ०–01/2017/ 1212 /पटना, दिनांक – 15.05.201

संकल्प

डा. राजेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन प्रभारी प्रचाय्र, मगध अभियंत्रण महाविद्यालय, गया सम्प्रति सहायक प्राध्यापक (भौतिकी), एम०आई०टी०, मजफ्फरपुर के विरूद्ध वित्त (अंकेक्षण) प्रतिवेदन संख्या–73/2014–15 में अंकेक्षण दल द्वारा प्रतिवेदित वित्तीय अनियमिताओं के आलोक में श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी।

डॉ० सिंह प्रभारी प्राचार्य, मगध अभियंत्रण महाविद्यालय, गया के विरूद्ध पूर्व में कतिपय वित्तीय अनियमिताओं को प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाकर बिहार सरकारी सेवक (नियंत्रण वर्गीकरण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम– 17 के अधीन विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 677 दिनांक 13.03.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई थी। उक्त संस्थित विभागीय कार्यवाही से संबंधित प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग/सरकार के स्तर पर की गयी तथा यह निर्णय लिया गया था कि प्रश्नागत बिंदु पर वित्त (अंकेक्षण) विभाग से विस्तृत अंकेक्षण करायी जाय। तदुपरान्त इस मामले में उनका अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या– 73/2014–15 उप लेखा नियंत्रण के ज्ञाप संख्या– 60 दिनांक 20.04.2015 द्वारा विभाग में प्राप्त हुआ। इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्व वित्तीय अनियमितता के संबंध में कई बिन्दु प्रकाश में आये विभागीय पत्रांक 1039 दिनांक 26.07.2016 द्वारा श्री सिंह के विरूद्व प्रपत्र– 'क' में आरोप पत्र गठित करते हुए, साक्ष्य तालिका सहित इसे जॉच संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए इसकी प्रति आरोपी डा० सिंह को भी उपलब्ध करया गया।

विषयगत मामले में जॉच संचालन पदाधिकारी–सह–प्राचार्य, एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉच संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जॉच निष्कर्ष आरोपी में डा. राजेन्द्र प्रसाद सिंह के विरूद्व संस्थित सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई तथा यह पाया गया कि जॉच संचालन पदाधिकारी द्वारा लेखा प्रभार से संबंधित तथ्यों का ठीक ढंग से परीक्षण नहीं करने के कारण विभागीय पत्रांक 2920 दिनांक 29.11.2016 द्वारा जॉच प्रतिवेदन वापस करते हुए जॉच संचालन पदाधिकारियों को पुनः जॉच कर अपना जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। इस आलोक में डा. अचित्न्य, प्राचार्य–सह–जॉच संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक 54 दिनांक 12.01.2017 द्वारा पुनः प्रेषित जॉच प्रतिवेदन में प्रश्नागत मामले की जॉच नियमानुसार नहीं कर अपना एक प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जिसमें आरोपी डा. सिंह के विरूद्व लगाये गये सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। इसमें यह पाया गया कि जॉच संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन Logical एवं Satisfactory नहीं है तथा विभागीय पत्रांक 2920 दिनांक 29.11.2016 द्वारा जॉच प्रतिवेदन में पायी गयी त्रुटियों को इंगित करते हुए उन्हें पुनः जॉच कर पंद्रह दिनों के अंदर जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। जॉच संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 54 दिनांक 12.01.2017 को पुनः अपना प्रतिवेदन विभाग में उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपी के विरूद्व लगाये गये सभी आरोपों को प्रमाणित नहीं होने की बात कही गयी। इस बीच जॉच संचालन पदाधिकारी का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन, सीतामढ़ी, इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हो जाने के कारण विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 362 दिनांक 14.02.2017 द्वारा डा. अचित्न्य प्राचार्य, सीतामढ़ी अभियंत्रण महाविद्यालय को पुनः जॉच संचालन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। तदोपरान्त उन्होंने जॉच प्रतिवेदन अपने पत्रांक 492 दिनांक

21.06.2017 द्वारा विभाग में समर्पित किया। उक्त जॉच प्रतिवेदन में उनके द्वारा अन्य बातों के अतिरिक्त एम. जे.सी. संख्या 3298/2016 में आरोपी डा. राजेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा समर्पित Petition के पाराग्राफ संख्या– 13 एवं 14 के तथ्य कथन के आलोक में विषयांकित विभागीय कार्यवाही प्रदूषित होने की बात कही गयी तथा उनके द्वारा अपने नियंत्री पदाधिकारी के विरूद्व कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए यह कहा गया कि यह विभागीय कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायाधीन हो गयी है। उक्त के आलोक में उनके द्वारा सक्षम प्राधिकार से विभागीय कार्यवाही संचालित कराये जाने के अनुरोध सहित सभी संगत अभिलेखों को विभाग में वापस कर दिया गया।

डा. अचित्न्य, प्राचार्य सीतामढी अभियंत्रण महाविद्यालय को निलंबित किये जाने के पश्चात् प्रश्नागत विभागीय कार्यवाही के जॉच संचालन पदाधिकारी के रूप में विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 2789 दिनांक 27.11. 2017 द्वारा डा. जगदानन्द झा, प्राचार्य, एम.आई.टी, मुजफ्फरपुर को जॉच संचालन पदाधिकारी तथा डा. नित्यानंद प्रसाद, संयुक्त निदेशक (एम.) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।

डा. जगदानंद झा, जॉच संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 562 दिनांक 26.03.2018 द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जॉच संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जॉच निष्कर्ष में आरोपी के विरूद्व प्रपत्र– 'क' में गठित आरोप संख्या 1, जो अभिश्रव समर्पित नहीं करने से संबंधित है। इस आरोप को सही प्रतिवेदित किया गया है। पुनः आरोप संख्या 2 के संबंध में उनके द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्व तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य के रूप में अभिश्रव संधारित नहीं करने तथा प्रभार में इसे हस्तान्तरण नहीं करने से संबंधित आरोप को भी सही प्रतिवेदित किया गया है। आरोप संख्या 3 जो आरोपी पदाधिकारी डा. सिंह के पदस्थापन अवधि में नियुक्त बर्सर डा. भूषण शर्मा से रोकड़पंजी में हस्ताक्षर नहीं कराये जाने तथा प्रभारी प्राचार्य के रूप में राशि आहारित कर निजी उपयोग में लाये जाने से संबंधित है, को भी सही प्रतिवेदित किया गया है। आरोपी पदाधिकारी डा. सिंह के विरूद्व संस्थित आरोप संख्या 4 जो उन्हें कई स्मार पत्रों के वाबजूद वांछित कागजात संस्थान को उपलब्ध नहीं कराने तथा अपने प्रभार की प्रक्रिया पूरी नहीं करने से संबंधित है, पर भी आरोपी पदाधिकारी के बयान को तत्थयात्मक रूप से सही नहीं मानकर आरोपों को सही माना गया है।

उक्त परिपेक्ष्य में जॉच संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त आरोपी डा. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह सम्प्रति सहायक प्राध्यापक (भौतिकी), एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर को जॉच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए, द्वितीय कारण पृच्छा के माध्यम से विभागीय पत्रांक 1014 दिनांक 17.04.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। आरोपी पदाधिकारी ने अपना द्वितीय कारण पृच्छा पत्रांक– शून्य दिनांक 27.04.2018 द्वारा विभाग में समर्पित किया।

आरोपी पदाधिकारी के विरूद्व प्रपत्र–'क' में गठित आरोप पत्र में सन्निहित आरोप, जॉच संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन में दिये गये अभिमत तथा आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के आधार पर आरोपी के विरूद्व प्रथम आरोप यह है कि अपने पदस्थापन अवधि वर्ष 1992 से 1994 के बीच उनके द्वारा मगध अभिंत्रण महाविद्यालय, गया के बैंक खाता संख्या– 4704, इलाहाबाद बैंक, गया शाखा से विभिन्न तिथियों में विभिन्न चेंको के माध्यम से 10,500.00 (दस हजार पॉच सौ रूपये) मात्र की स्वयं निकासी की गई और इसका अभिश्रव उनके द्वारा अंकेक्षण दल के समक्ष न तो उपस्थापित किया गया और न ही इस राशि के विरूद्व अभिश्रवों को जॉच संचालन पदाधिकारी के समक्ष ही प्रस्तुत किया गया। अपने द्वितीय कारण पृच्छा में आरोपी द्वारा यह कहा गया है कि इस राशि की निकासी कोषागार से नहीं की गई थी तथा राशि की निकासी का खर्च पुरानी परम्परा के अनुसार कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को अग्रिम देने में किया गया

था। उनका यह कथन विश्वसनीय नहीं है और न ही वित्तीय नियमों के अनुकूल ही है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा इस राशि की निकासी महाविद्यालय हेतु संधारित खाता से स्वयं अपने द्वारा की गई, जो स्थापित वित्तीय नियमों का सरासर उल्लंधन हैं और इस कृत के लिए उन्हें दोषी माना गया।

आरोपी के विरूद्व दूसरा आरोप यह है कि अपने पदस्थापन अवधि वर्ष 1992–1994 में उनके द्वारा मगद्य अभियंत्रण महाविद्यालय, गया के पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या– 337/2606 से विभिन्न तिथियों में अवैध ढंग से सेल्फ चेक के माध्यम से रू0 2,42,300.00 (दो लाख बियालीस हजार तीन सौ) एवं प्राचार्य के नाम से 11,916.00 (ग्यारह हजार नौ सौ सोलह) यानि कुल रू0 2,54,216.00 (दो लाख चौबन हजार दो सौ सोलह) की निकासी की गयी। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थान के नाम से विभिन्न तिथियों में कुल रू0 33,386.00 (तेतीस हजार तीन सौ छियासी) की भी निकासी की गई, जिसका कोई भी अभिश्रव उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

जॉच संचालन पदाधिकारी अपने मंतव्य में कहा है कि उक्त वर्णित राशि का अभिश्रव जॉच संचालन के दौरान आरोपी द्वारा समर्पित नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा है कि उपरोक्त राशि से संबंधित अभिश्रव किसी भी कर्मचारी द्वारा प्रभारी प्राचार्य को नहीं दिया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने मंतव्य में कहा है कि तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य एवं तत्कालीन रोकड़पाल द्वारा कोई भी अभिश्रव संधारित नहीं किया गया है और न ही प्रभार में दिया गया है एवं इस आधार पर आरोपी के विरूद्व आरोप संख्या 02 में सन्निहित आरोप को सही प्रतिवेदित किया गया है।

आरोपी ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा दिनांक 27.04.2018 की कंडिका पार्ट– 05 में इस बात का उल्लेख किया है कि उनके द्वारा दिनांक 13.03.1992 से दिनांक 06.10.1994 तक कुल रू0 3,31,286.00 (तीन लाख इक्कतीस हजार दो सौ छियासी) की निकासी की गयी है, जिसमें रू0 2,00,635.00 (दो लाख छः सौ पैतीस) कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को अग्रिम दिये जाने का बात कही गयी है तथा इस अग्रिम की राशि का लौटाने की भी बात कही गयी है। उक्त अग्रिम की राशि रू0 2,00,635.00 (दो लाख छः सौ पैतीस) में से रू० 1,43,901.00 (एक लाख तेतालीस हजार नौ सौ एक) रूपये उनके द्वारा महाविद्यालय के रख–रखाव एवं दैनिक कार्यो के निष्पादन में व्यय किये जाने का उल्लेख किया गया है। उन्होंने व्यय की गयी राशि रू० 1,43,901.00 (एक लाख तेतालीस हजार नौ सौ एक) रूपय में सी श्री एम.एन. सिंह एवं श्री पारस नाथ मिस्त्री को बकाया वेतन 14,000.00 (चौदह हजार) दूरभाष विपत्र रू० 10,321.00 (दस हजार तीन सौ इक्कीस), गाड़ी का Insurance एवं Road Tax रू० 25,327.00 (पच्चीस हजार तीन सौ सताईस) का व्यय किये जाने का भी उल्लेख किया गया है।

आरोपी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के माध्यम से दिये गये अपने बचाव व्यान में यह स्वयं उनके द्वारा माना गया है कि उक्त आलोच्च अवधि में उनके द्वारा रू० 3,31,286.00 (तीन लाख इक्तीस हजार दो सौ छियासी) की निकासी की गयी है। उन्होंने अपने बचाव में महाविद्यालय के रख–रखाव एवं दैनिक कार्यो के निष्पादन पर रू० 1,43,901.00 (एक लाख तेतालीस हजार नौ सौ एक) रूप्ये का व्यय किये जाने का तो उल्लेख किया गया है, परन्तु अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि श्री एस.एन. सिंह एवं श्री पारस नाथ मिस्त्री का बकाया वेतन रू० 14,000/– दूरभाष विपत्र पर 10,321/– रूपये एवं गाड़ी का बीमा एवं रोड टैक्स पर रू० 25327/– का व्यय उनके द्वारा किया गया है। श्री एस.एन सिंह एवं श्री पारस नाथ मिस्त्री के पदनाम का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, और अगर यह राशि उन्हें बकाया वेतन के रूप में अग्रिम स्वरूप प्रदान किया गया तो इसका कोई प्राप्ति रसीद अथवा अग्रिम पंजी की अभिप्रमाणित प्रति भी उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अंकेक्षण प्रतिवेदन में यह

स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दूरभाष मद में 10,321/– रूपये के व्यय के समर्थन में अंकेक्षण दल द्वारा संबंधित अभिश्रव, दूरभाष पंजी एवं स्वीकृत्यादेश आदि की अधियाचना बार–बार किये जाने के बावजूद अंकेक्षण दल के समक्ष इसे प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः अंकेक्षण दल द्वारा इस व्यय को काल्पनिक व्यय मान कर राशि गवन किये जाने का मामला प्रतिवेदित किया गया है। अंकेक्षण दल ने अपने जॉच प्रतिवेदन की कंडिका– 5 में यह स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि वर्ष 1992, 1993 एवं 1994 में आरोपी पदाधिकारी द्वारा रू० 3,14,414,17 (तीन लाख चौदह हजार चार सौ चौदह रूपये सत्तरह पैसे) का काल्पनिक व्यय दिखाकर गवन कर लिया गया है, क्योंकि अनेकों बार स्मारित किये जाने के बावजूद आलोच्य अवधि की अभिप्रमाणित रोकड़पंजी अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतएव आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव ब्यान में महज इस बात का उल्लेख करना कि प्रश्नागत राशि उनके द्वारा अग्रिम एवं अन्य मदों में व्यय की गयी है, किसी प्रकार के साक्ष्य पर आधारित नहीं है। रोकड़बही का संधारण एवं संचालन विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, जिसमें रोकड़पाल/लेखापाल तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रतिदिन प्रारम्भिक शेष एवं अंतिम शेष के रूप में राशि दर्शाकर राशि का सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। परन्तु पदाधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया और इस आधार पर आरोपी के विरूद्व आरोप संख्या– 02 में सन्निहित आरोप के लिए इन्हें दोषी माना गया।

आरोपी के विरूद्व तीसरा आरोप यह है कि उनके द्वारा अपने पदस्थापन अवधि के दौरान अपने पत्रांक एम.ई.सी./1/1992 दिनांक 25.05.1992 द्वारा डा. भूषण शर्मा को बर्सर के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन उक्त अवधि में कैशबुक में बर्सर का हस्ताक्षर नहीं है। आरोपी के विरूद्व संस्थित आरोप, जॉच संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य एवं आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित बचाव ब्यान दिनांक 27.04.2018 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि डा. भूषण शर्मा का बर्सर के रूप में नियुक्त किये जाने के पश्चात् महाविद्यालय के रोकड़ संचालन एवं संधारण में उन्हें दर किनार करना उचित नही था। अंकेक्षण प्रतिवेदन के भाग–2 कंडिका– 5 में भी अंकेक्षण दल द्वारा यह आपति उठायी गयी है कि तत्कालीन प्राचार्य द्वारा रोकड़पुस्त में विभिन्न तिथियों को आय–व्यय की अंकित प्रत्येक राशि पर लघुहस्ताक्षर न करके सिर्फ शेष राशि पर लघु हस्ताक्षर किया गया था, जबकि प्रभारी प्राचार्य द्वारा नियुक्त बर्सर एवं तत्कालीन लेखा लिपिक का कही भी लघु हस्ताक्षर नहीं पाया गया। आरोपी ने अपने बचाव ब्यान में इस बात का उल्लेख किया है कि श्री भूषण शर्मा, बर्सर का कार्यकलाप संदिग्ध होनें के कारण ही उन्हें इस पद से हटा दिया गया, परंतु श्री शर्मा को बर्सर के पद से हटाये जाने से संबंधित कोई आदेश की प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इतना ही नहीं रोकड़पंजी पर लेखापाल एवं बर्सर का लघु हस्ताक्षर नहीं रहने का कोई औचित्य भी नहीं दर्शाया गया है। आरोपी द्वारा अपने कथन के समर्थन में डा. भूषण शर्मा के विरूद्व विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखंड सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 152–सह–पठित ज्ञापांक– 1377 दिनांक 07.10.2004 की छायाप्रति साक्ष्य स्वरूप समर्पित किया गया है, जिसके अवलोकन से यह पता चलता है कि श्री शर्मा को सहायक गोदाम प्रबंधक, राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम के पद से कतिपय आरोपों के आलोक में बर्खास्त किया गया है। परन्तु जब वर्ष 1992 में श्री शर्मा बर्सर के रूप में नियुक्त किये गये तो उन्हें अपने नियुक्त पद के कर्त्तव्य के निर्वहन करने से रोकने का कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया जाना यह प्रमाणित करता है आरोपी बगैर लेखापाल एवं बर्सर के ही निजी तौर पर महाविद्यालय की राशि को नियम के विपरीत व्यय करने में रूचि रखते थे। अतः इस आधार पर आरोपी के विरूद्व इस आरोप को भी प्रमाणित माना गया। आरोपी के विरूद्व चौथा आरोप यह है कि कई स्मार पत्रों के बावजूद उनके द्वारा आलोच्च अवधि में व्यय की

गई राशि के विरूद्व अभिश्रव अभीतक संस्थान में समर्पित नहीं किया गया है, जो इनके कृत को संदेहास्पद बनाता है।

यह बात सही है कि अभिलेख एवं अभिश्रव आदि प्राचार्य के स्तर पर सीधे सुरक्षित नहीं रखे जाते है, बल्कि इसके कस्डोडियन उनके अधीनस्थ कर्मी होते है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान रोकड़पंजी में दर्शायी गयी व्यय राशि के संबंध में अभिश्रव अथवा संबंधित अन्य अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जाना, व्यय के औचित्य को संदिग्ध दर्शाता है। अगर लेखापाल अथवा लिपिक द्वारा ऐसे अभिलेखों अथवा अभिश्रवों को अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया तो, उस अवधि में पदस्थापित प्राचार्य द्वारा उनके विरूद्व विभागीय/आपराधिक कार्यवाही करनी चाहिए थी। समीक्षा के क्रम में यह बात स्पष्ट हुआ है कि आरोपी के साथ कई पत्राचार एवं स्मार दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा कोई सही जबाव नहीं दिया गया। अपने कथन के समर्थन में आरोपी द्वारा जिन कागजातों को उपलब्ध कराया गया। उनमें अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति स्वरूप उठाई गयी कंडिका में अंकेक्षण के समय दिये गये अनुपालन प्रतिवेदन की चर्चा है, जिसमें अभिश्रव से संबंधित रक्षित पंजी एवं अन्य पंजी आदि का प्रभार में नहीं सौपनें की बात स्पष्ट है। अतः आरोपी का यह कथन कि अभिलेख एवं अभिश्रव के सीधे कस्डोडियन नहीं होते है, पर सहमत तो हुआ जा सकता है, परन्तु ऐसे अभिलेखों एवं अभिश्रव सरकार/महाविद्यालय के कागजात है जिसके लिए जिम्मेवार लिपिक/लेखा लिपिक को चिन्हित कर अभिलेख उपस्थापित नहीं होने की स्थिति में सख्त अनुशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव समर्पित करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इस परिपेक्ष्य में यह प्रमाणित होता है कि आरोपी ऐसे वित्तीय मामलों में सजग एंव सचेष्ट नहीं रहे तथा विषयवस्तु की गंभीरता को नजर अंदाज करते रहे। अगर आरोपी द्वारा समय–समय पर लेखा शाखा का औपचारिक निरीक्षण किया गया होता, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अतः ऐसे वित्तीय मामलों में वे उदासीन रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें, जिसके परिणाम स्वरूप आवश्यक वित्तीय कागजात अंकेक्षण दल को उलपब्ध नहीं कराया जा सका। ऐसी स्थिति में उन्हें सही रूप से दोषी माना जा सकता है।

उपर्युक्त वर्णित बिंदुओं क परिपेक्ष्य में डॉ0 राजेंद्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, मगध अभियंत्रण महाविद्यालय, गया सम्प्रति सहायक प्राध्यापक (भौतिकी) एम0आई0टी0 मुजफ्फरपुर के विरूद्ध अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–73/2014–15 में उनके द्वारा बरती गयी वित्तीय अनियमिता से संबंधित आरोप पर जाँच संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–562 दिनांक–26.03.18 सं प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से सहमत होकर आरोपी डॉ सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14(i), (iii) एवं (v) के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है।

1. निन्दन (वर्ष 1992–93 एवं वर्ष 1993–94)
2. कुल रू० 2,98,102.00 (रू0 10,500.00 + रू0 2,42,300.00 + रू0 11,916.00 + रू0 33,386.00) दो लाख अनठानवे हजार एक सौ दो रूपये मात्र की एकमुश्त वसूली की जाय। इस राशि की एकमुश्त अदायगी नहीं करने की स्थिति में आरोपी पदाधिकारी डॉ0 सिंह के सेवानिवृति लाभ से इस राशि की एकमुश्त वसूली कर ली जाए।
3. एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाय।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित को उपलब्ध करा दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

15/5/18

विशेष सचिव
विज्ञान एंव प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना

15/05/18

ज्ञापांक– **वि० प्रा० (I) आ०–01/2017/** 1212 **/पटना, दिनांक –** 15.05.2018

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीर चन्द पटेल पथ, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/5/18

विशेष सचिव
विज्ञान एंव प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– **वि० प्रा० (I) आ०–01/2017/** 1212 **/पटना, दिनांक –** 15.05.2018

प्रतिलिपि– डा. राजेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन प्रभारी प्रचाग्र, मगध अभियंत्रण महाविद्यालय, गया सम्प्रति सहायक प्राध्यापक (भौतिकी), एम०आई०टी०, मुजफ्फरपुर/निदेशक/ विभाग के सभी पदाधिकारी/ प्राचार्य विभागाधीनस्त सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/ राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक/ राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना/परियोजना निदेशक, बी.सी. एस.टी., पटना/आई.टी. मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/5/18

विशेष सचिव
विज्ञान एंव प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– **वि० प्रा० (I) आ०–01/2017/** 1212 **/पटना, दिनांक –** 15.05.2018

प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, विज्ञान एंव प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

15/5/18

विशेष सचिव
विज्ञान एंव प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

15/05/18